



प्रेस नोट जनपद बागपत

साइबर सेल

दिनांक 21.12.2025

साइबर सेल बागपत की टीम द्वारा बैंक में नौकरी दिलवाने के नाम पर कॉल सेंटर का संचालन कर अंतर्राज्यीय स्तर पर ऑनलाइन ठगी करने वाले 05 अभियुक्तों सहित 02 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 12 मोबाईल फोन, दो लैपटॉप ,02 फर्जी सिम, कई कूटरचित्त नियुक्ति पत्र एवं एग्रीमेंट, 15 बैंक पासबुक, 02 चैक बुक , 02 UPI क्यू-आर कोड, एटीएम कार्ड एवं 11 अन्य प्रकार के कार्ड बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिबिंब पोर्टल से प्राप्त मो0नं0-

82272074099,

7895506374 पर

शिकायत दर्ज होना



पाया गया । इन मो0नं0 की तकनीकी जाँच से अतिरिक्त 10 संदिग्ध मो0नं0 प्राप्त हुये । उक्त 10 मो0नं0 पर मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय आदि प्रदेशों से कुल 20 शिकायतें प्रकाश में आई ।

उक्त शिकायतों की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि नोएडा क्षेत्र में एक अवैध कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। उक्त कॉल सेंटर के माध्यम से OLX पर Naukari.com से संबंधित सूचना का दुरुपयोग करते हुए लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। इस संबंध में साइबर सेल, बागपत द्वारा सूचना का संज्ञान लेते हुए विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई ।

जांच के दौरान यह पाया गया कि एक संगठित गिरोह द्वारा बैंक में नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किए जाते थे तथा भारत सरकार

द्वारा जारी स्टाम्प पेपर पर फर्जी एग्रीमेंट बनाकर हजारों भोले-भाले लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया जाता था। इसके लिए फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर आकर्षक एवं लुभावने ऑफर देकर लोगों से ठगी की जा रही थी।

जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा संगठित रूप से उक्त गंभीर एवं दण्डनीय अपराध कारित किया गया है। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से साइबर सेल, बागपत द्वारा त्वरित एवं सख्त कार्यवाही करते हुए इस प्रकरण का संज्ञान लिया गया तथा थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा अपराध संख्या 51/2025 अंतर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 111(2)(B), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 66D आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत साइबर सेल बागपत की टीम द्वारा बैंक में नौकरी दिलवाने के नाम पर कॉल सेंटर का संचालन कर अंतर्राज्यीय स्तर पर ऑनलाइन ठगी करने वाले 05 अभियुक्तों सहित 02 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 12 मोबाईल फोन, दो लैपटॉप, 02 फर्जी सिम, कई कूटरचित नियुक्ति पत्र एवं एग्रीमेंट, 15 बैंक पासबुक, 02 चैक बुक, 02 UPI क्यू-आर कोड, एटीएम कार्ड एवं 11 अन्य प्रकार के कार्ड बरामद हुए हैं।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान- दिनांक 21.12.2025 को समय 11.30 बजे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नीचे थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र।

बरामदगी का विवरण:-

- घटना में प्रयुक्त 12 मोबाईल फोन।
- दो लैपटॉप (लैपटॉप के फोल्डर में भारत के भिन्न भिन्न राज्यों के करीब 6450 लोगों का डाटा)
- 02 फर्जी सिम
- कई कूटरचित नियुक्ति पत्र एवं एग्रीमेंट।

- 15 बैंक पासबुक ।
- 02 चेक बुक (अलग अलग नाम की)
- 02 UPI क्यू-आर कोड ।
- एटीएम कार्ड
- 11 अन्य प्रकार के कार्ड

गिरफ्तार अभियुक्तों/अभियुक्ता का नाम व पता -

1. मोहित कुमार पुत्र प्रमोद कुमार निवासी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. पुनीत कुमार पुत्र स्व० जगपाल सिंह निवासी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. वरदान पुत्र रामअवतार निवासी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
4. अनुज कुमार पुत्र इन्द्रपाल निवासी न्यू अशोक नगर जिला ईस्ट दिल्ली ।
मूल निवास खवाजा नंगला थाना छपरौली जनपद बागपत ।
5. अक्षय पुत्र प्रमोद कुमार निवासी सोटा अलीपुर खीरी शामली जनपद मुजफ्फरनगर ।
- 6- 02 महिला अभियुक्ता ।

आपराधिक इतिहास:-

1. ACKNOWLEDGEMENT NO.-21901250004228 बांद्रा राज्य
महाराष्ट्र
2. ACKNOWLEDGEMENT NO.-22110250034696 पन्ना मध्य प्रदेश
राज्य
3. ACKNOWLEDGEMENT NO.-22110250034764 पन्ना मध्य प्रदेश
राज्य
4. ACKNOWLEDGEMENT NO.-31906250097632 पुणे महाराष्ट्र राज्य
5. ACKNOWLEDGEMENT NO.-31906250108607 बुलधाना महाराष्ट्र
6. ACKNOWLEDGEMENT NO.-31909250160697 शांगली, महाराष्ट्र
7. ACKNOWLEDGEMENT NO.-32103250009292 मंडला, राज्य मध्य
प्रदेश

- 8.ACKNOWLEDGEMENT NO.-33305250013791 शक्ति, छत्तीसगढ़
9.ACKNOWLEDGEMENT NO.-33306250016902 बिलासपुर छत्तीसगढ़
10.ACKNOWLEDGEMENT NO.-33311240023861 राजनंदगाँव
छत्तीसगढ़
11.ACKNOWLEDGEMENT NO.-31901250005498
12.ACKNOWLEDGEMENT NO.-22111250036510
13.ACKNOWLEDGEMENT NO.-33212250102940
14.ACKNOWLEDGEMENT NO.-21907240070511
15.ACKNOWLEDGEMENT NO.-21910240109960
16.ACKNOWLEDGEMENT NO.-33311240024302
17.ACKNOWLEDGEMENT NO.-33207250056007
18.ACKNOWLEDGEMENT NO.-33312250033511
19.ACKNOWLEDGEMENT NO.-22110250034764 पन्ना, मध्य प्रदेश
20.ACKNOWLEDGEMENT NO.-31906250108607
21. मु०अ०सं०-20/2018 धारा 406,419,420,467,468,471 भादवि थाना
बडौत जनपद बागपत ।

घटना का अनावरण व गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक श्री कैलाश चन्द प्रभारी साइबर सेल जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री अमरदीप साइबर सेल जनपद बागपत ।
- 3-उ०नि० श्री दिग्विजय साइबर सेल जनपद बागपत ।
- 4-उ०नि० श्री सौम्य कृष्णात्रेय साइबर सेल जनपद बागपत ।
- 5-है०का० 85 रवि शंकर साइबर सेल जनपद बागपत ।
- 6-म०का० 356 कुंती साइबर सेल जनपद बागपत ।
- 7-का० 953 अंकुल साइबर सेल जनपद बागपत ।
- 8-का० 879 अमरेश कुमार साइबर सेल जनपद बागपत ।
- 9-का० 913 शंकर लाल बघेल साइबर सेल जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 21.12.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 796/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस व 16/17 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11-12-2025 को थाना बडौत पर वादी श्री बल्लू पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम सुल्तानपुर हटाना थाना बडौत बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1. मनीष पुत्र बल्लू 2. सन्नी पुत्र मोल्हड 3. छोटू पुत्र



रिशपाल 4. सचिन पुत्र हरिसिंह निवासी गण ग्राम सुल्तानपुर हटाना थाना बडौत बागपत वादी की बहन मधु उम्र 16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 - 796/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया एवं दिनांक 19.12.2025 को अपहर्ता को बरामद किया जा चुका है तथा उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 87 बीएनएस व 16/17 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई अभियुक्तों 1. सन्नी पुत्र मोल्हड, 2. छोटू पुत्र रिशपाल, 3. सचिन पुत्र हरिसिंह निवासी गण ग्राम सुल्तानपुर हटाना थाना बडौत जनपद बागपत की नामजदगी गलत पायी गई।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 796/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस व 16/17 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

मनीष पुत्र बल्लू उर्फ बबलू निवासी ग्राम सुल्तानपुर हटाना थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 315 ईशपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 788 करन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 21.12.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 355/25 धारा 2(ख)1/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये की इनामिया 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये



जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 355/25 धारा 2(ख)1/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये की इनामिया 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा उक्त अभियुक्ता की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

01 अभियुक्ता।

अभियुक्ता की गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान-

दिनांक 20.12.2025 समय 15.40 बजे ग्राम बामनहेडी थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 267/24 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/352/351(2)/115(2)3(5) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत ।
2-मु0अ0सं0 355/25 धारा 2(ख)1/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-म0उ0नि0 सुमनलता राधव थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 801 सावन कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-म0का0 870 मनीषा थाना बिनौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 21.12.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 407/25 धारा 64(1)/115(2)/351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 407/25 धारा



64(1)/ 115(2)/351(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

आसकीन उर्फ आरिफ पुत्र उम्मेद निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-है0का0 410 राजवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 21.12.2025

थाना रमाला पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

सोनू पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-का0 88 विनीत कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-हो0गा0 579 प्रदीप थाना रमाला जनपद बागपत ।